



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



21 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 144 राँची, सोमवार,

11 मार्च, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

6 मार्च, 2024

संख्या-16/नि०-02/2019-1556--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा-46 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति (संशोधन) नियमावली, 2024" कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियमावली (झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014) के नियम-7(iii) से (vi) में किये गये निम्न प्रावधान:-

7(iii) दौड़ के लिये रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नॉलजी (Radio Frequency Identification (RFID) Chip Timing Technology) का प्रयोग किया जायेगा।

7(iv) उँचाई एवं सीना की माप के लिए स्टैण्डर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्पले मॉनिटर्स (Standard Digital Height Weight Device with Digital Display Monitors) का प्रयोग किया जायेगा।

7(v) आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रीक डिवाइसेस (Biometric Devices) का प्रयोग किया जायेगा।

7(vi) सी०सी०टी०भी० टेक्नोलॉजी (CCTV Technology) का प्रयोग कर सभी संचालन का विडियोग्राफी किया जायेगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

7(iii) दौड़ के लिये रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नॉलजी (Radio Frequency Identification (RFID) Chip Timing Technology) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। 7(iv) उँचाई एवं सीना की माप के लिए स्टैण्डर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्पले मॉनिटर्स (Standard Digital Height Weight Device with Digital Display Monitors) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी उँचाई एवं सीना की माप यथा उपलब्ध अन्य मानक उपकरणों से की जा सकेगी।

7(v) आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रीक डिवाइसेस (Biometric Devices) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी तो ऐसी स्थिति में आवेदक की पहचान उसके आवेदन में दिये गये पहचान चिन्ह से मिलान कर की जायेगी।

7(vi) सी०सी०टी०भी० टेक्नोलॉजी (CCTV Technology) का प्रयोग कर सभी संचालन का विडियोग्राफी किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी सभी संचालन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

3. झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (यथा संशोधित) के शेष नियम यथावत रहेंगे।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक-845, दिनांक-13.02.2024 के द्वारा गठित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-23.02.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

टी० कन्दसामी,

सरकार के विशेष सचिव ।
